

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा

क्रमांक :- स्था./विज्ञप्ति/2026/.....

दिनांक :- 23.03.2026

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक 156 दिनांक 10.03.2026 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.08(1) विधि-2/विरसं(64)/ 2015 पार्ट II -17055 दिनांक 03.02.2026 के निर्देशानुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के दिशा-निर्देशों के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं -

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	रिक्त पद
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा	4
2	स्थाई लोक अदालत, भीलवाड़ा	2
3	तालुका विधिक सेवा समिति, आसीन्द	1
4	तालुका विधिक सेवा समिति, बिजौलियां	1
5	तालुका विधिक सेवा समिति, गंगापुर	1
6	तालुका विधिक सेवा समिति, गुलाबपुरा	1
7	तालुका विधिक सेवा समिति, जहाजपुर	1
8	तालुका विधिक सेवा समिति, कोटड़ी	1
9	तालुका विधिक सेवा समिति, माण्डल	1
10	तालुका विधिक सेवा समिति, माण्डलगढ़	1
11	तालुका विधिक सेवा समिति, शाहपुरा	1
	कुल योग	15

विस्तृत जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 30.03.2026 को कार्यालय समय में सायं 5 बजे तक जरिये ई-मेल/डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
भीलवाड़ा
दिनांक - 23/3/2026

क्रमांक - 1425-1432

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत् [व व्यक्ति नोटिस बोर्ड पर चस्पा]
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त तालुका जिला भीलवाड़ा।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, भीलवाड़ा को समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. जिला नियोजन अधिकारी, भीलवाड़ा।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
भीलवाड़ा

कार्यालय:— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा (राज.)
(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :—
2. पिता/पति का नाम :—
3. जन्म तिथि:—
4. पता मय मोबाईल नम्बर :—
5. आयु :— वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :—
7. मूल विभाग का नाम :—
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :—
9. अनुभव :—
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैंड वेतन, ग्रेड पे)
एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1)..... (2).....(3).....
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :—

स्थान :—

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रूपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील